झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग
उप निदेशक कल्याण कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग
नामांकन संबंधी सूचना वर्ष 2018

कल्याण विभाग के पत्रांक–3468 दिनांक 10.11.2017 एवं विभागीय पत्र संख्या–705 दिनांक 01.03.2017 एवं परिपत्र संख्या–06 दिनांक 02.01.2018 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग अन्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित निम्नलिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च तथा उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में वर्ग प्रथम, षष्टम् सप्तम्, अष्टम् एवं नवम् में शैक्षणिक वर्ष 2018–19 के रिक्ति के अनुसार नामांकन हेतु इच्छूक छात्र/छात्राओं से विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र में दिनांक 09.01.2018 से 30.01.2018 तक आमंत्रित किये जाते है आवेदन–पत्र संबंधित विद्यालयों से प्राप्त एवं जमा किये जायेंगें।

क0 सं0	जिला का नाम	विद्यालयों का नाम	छात्र/छात्रा
1	हजारीबाग	1.अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय, हजारीबाग	छात्राओं के लिए
		2.अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, बरसौत, हजारीबाग	छात्रों के लिए ।
		3.आदिम जनजाति आवासीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, दीपूगढ़ा (हजारीबाग)	आदिम जन जाति छात्राओं के लिए
2	रामगढ़	4.अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, माण्डू, रामगढ़	छात्रों के लिए
		5.अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, गोला, (रामगढ)।	छात्राओं के लिए
3.	गिरिडीह	6.अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, पीरटांड़ (गिरिडीह)	छात्राओं के लिए
		7.अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, खरगडीहा, (गिरिडीह)	छात्रों के लिए
		8.अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, जमुआ, (गिरिडीह)	छात्रों के लिए
4.	धनबाद	9.अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, गोविन्दपुर (धनबाद)	छात्रों के लिए
5.	बोकारो	10.अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, चास, (बोकारो)	छात्रों के लिए
6.	चतरा	11.अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, लावालौंग, (चतरा)	छात्रों के लिए
		12.अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, सिमरिया, (चतरा)	छात्राओं के लिए
		13.अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सिमरिया, (चतरा)	छात्राओं के लिए
		14.अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, हंटरगंज, (चतरा)	छात्राओं के लिए
		15.अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उत्क्रमित विद्यालय, प्रतापपुर, (चतरा)	छात्राओं के लिए

1. आवेदन–पत्र प्रत्येक कार्य दिवस के दिन प्रातः 10:00 बजे से अपराहन् 3:00 बजे तक संबंधित विद्यालय से भी प्राप्त किये जायेंगें।

2. अनुसूचित जाति के विद्यालयों में अस्वच्छ कार्य में लगे परिवार के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत तथा मुसहर एवं भुईयाँ जाति के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत स्थान नामांकन में सुरक्षित रहेगा। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की सभी उपजातियों के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों में आदिम जनजातियों के लिए नामांकन 25 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेगा। यदि उक्त कोटि आरक्षित सीटों के लिए छात्र/छात्राओं के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग से अनुमोदन प्राप्त कर मेघा सूची से ही अन्य अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की अन्य उपजातियों के बच्चों का नामांकन आरक्षित सीट के विरूद्ध किया जायगा।

3. वर्ग 6,7,8 एवं 9 में नामांकन हेतु लिखित जाँच परीक्षा ली जायगी जिसके लिए छात्रों को क्रमशः 5, 6,7 एवं 8 कक्षा संबंधित वर्ग में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

4. वर्ग 6,7,8, एवं 9 में नामांकन हेतु हिन्दी, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के वस्तुनिष्ठ एवं लघुं उत्तरीय लिखित प्रतियोगिता जाँच परीक्षा OMR पद्धति से ली जायगी ।

5. वर्ग प्रथम में नामांकन हेतु मौखिक परीक्षा दिनांक 10.02.2018 (शनिवार) को वर्ग 6,7,8 एवं 9 में नामांकन हेतु लिखित परीक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि दिनांक 11.02.2018 दिन (रविवार) को संबंधित विद्यालय में प्रातः 11:00 बजे पूर्वाहन् में होगी।

6. नामांकन हेतु चयनित छात्र/छात्राओं की मेघा सूची विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जायगी। अनुसचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के कक्षा 6, 7 एवं 8 में रिक्तियों के विरूद्ध नामांकन एकलब्य आश्रम आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए आयोजित चयनित परीक्षा के उपरान्त तैयार मेघा सूची से मेघा क्रमांक के अनुसार किया जायगा।

7. नामांकन हेतु आवेदन–पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 30.01.2018 निर्धारित है।

8. नामांकन के समय चयनित छात्र/छात्राओं को जाति प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण–पत्र तथा वर्ग 6,7,8, एवं 9 में नामांकन हेतु विद्यालय परित्याग प्रमाण–प़त्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. विभागीय पत्रांक–2226 दिनांक 01.08.2006 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में गरीबी रेखा से नीचे आय वाले परिवार के बच्चों को ही नामांकित किया जायगा। इसके लिए बी0पी0एल0 की सूची में नाम अंकित होने के आधार पर नामांकन की पात्रता निर्धारित की जायगी।

10. उक्त आवासीय उच्च्य विद्यालयों में केवल उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के ही छात्र/छात्रा नामांकन हेतु आवेदन–पत्र दे सकते है।

11. वर्ग 6,7,8 एवं 9 में नामांकन के लिए उम्र सीमा दिनांक 01.04.2018 तक क्रमशः 12,13,14 एवं 15 वर्ष के अन्दर होनी चाहिए

12. वर्ग 6,7,8 एवं 9 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को संबंधित विद्यालय जहाँ वे अध्ययनरत् है के प्रधानाध्यापक उनके नामांकन आवेदन–पत्र अंकित छात्र/छात्रा का नाम, जन्म तिथि वर्ग 5,6,7, एवं 8 में उत्तीर्ण होने की तथ्य को अपने विद्यालय के

मुहर एवं अपना पूर्ण हस्ताक्षर से प्रमाणित करते हुए नामांकन आवेदन–पत्र अग्रसारित करेगें साथ ही आवेदक को बी0पी0एल0 परिवार के सदस्य होने का प्रमाण–पत्र वार्ड सदस्य/मुखिया (बी0पी0एल0, लाल कार्ड, अंत्योदय कार्ड अथवा गरीबी रेखा से नीचे का आय–प्रमाण–पत्र) समर्पित करना होगा।

13. जिन छात्र/छात्राओं के माता पिता सरकारी में कार्यरत है उनके बच्चों का नामांकन हेतु आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायगा। इस आशय का घोषणा–पत्र आवेदक के माता/पिता/अभिभावक के द्वारा आवेदन–पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। असत्य/फर्जी घोषणा देने वाले अभिभावक के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायगी।

(के0 के0 सिंह)
उप निदेशक कल्याण,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,
हजारीबाग।

कल्याण विभाग राजकीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति आवासीय उच्च तथा उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में नामांकन हेतु आवेदन–पत्र 2018–19

अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी के (Capital Letters में) ------------

लिंग (बालक/बालिका) :–...

वर्ग (ST/SC/OBC/Gen) :–...

निवास स्थान (ग्रामीण/नगरीय) ....

जन्म तिथि अंकों में

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

पासपोर्ट साईज फोटो

शब्दों में ....

माता का नाम (अंग्रेजी के (Capital Letters में)----------------------

पिता का नाम (अंग्रेजी के (Capital Letters में)-----------------------

अभिभावक का नाम (अंग्रेजी के (Capital Letters में)----------------------

माता/पिता के होने की स्थिति में)

अभिभावक का अभ्यर्थी से संबंध में

वर्तमान पता..

....पिन कोड..

स्थायी पता ....

....पिन कोड..

मोबाईल नं0...

अभ्यर्थी के अध्ययनरत विद्यालय का विवरण:–

विद्यालय का नाम ....

विद्यालय का प्रवेश का माह एवं वर्ष.....................................

वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा ....

ग्राम/शहर का नाम जहाँ विद्यालय स्थित है।

प्रखण्ड का नाम ....

जिला का नाम ....

विद्यालय का स्थान (ग्रामीण/शहरी ....

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक /अभिभावक द्वारा किया जाने वाला घोषणा–पत्र

मैं...घोषणा करता/करती हूँ कि उपर दी गई सूचनाऐं मेरी जानकारी में है, तथा सत्य पूर्ण एवं सही है। मैं उपरोक्त दी जाने वाली सूचनाओं में कोई सुसंगत तथ्य छिपा नहीं रहा/रही हूँ। मैं आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु पूर्ण अर्हता रखता/रखती हूँ। यदि मैं प्रवेश हेतु चयनित होता/होती हूँ, तो संदर्भित अभिलेख प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करूँगा/करूँगी। मेरे द्वारा दिया गया कोई तथ्य प्रवेश के उपरान्त गलत पाया जाय,तो मेरा प्रवेश निरंतर कर दिया जाय।

आवेदक का हस्ताक्षर................................ माता/पिता/ अभिभावक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम माता/पिता अभिभावक के हस्ताक्षर

स्थानः– ....दिनांक..

आवेदक के अध्ययनरत विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...
पुत्र/पुत्री (श्री/श्रीमती) ....के आवेदन–पत्र में भरा गया विवरण विद्यालय अभिलेखों के अनुसार सही पाया गया ।

प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर.....................

कार्यालय का मुहर

स्थानः–
दिनांक..............................